

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मार्च, 2016  
पत्र संख्या-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0 /श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0  
(2005), पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी)  
नियमावली-1955 के नियम 15 (1) (बी) के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2015 से 08.12.2015 तक कुल  
11 (ग्यारह) दिनों के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0

/पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0

/पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय  
कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0

17.2.3 /पटना, दिनांक 13 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0  
(2005), पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।